न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—183/2016/223 (2016/00183)

1. सुनील कुमार पुत्र सूरजकरण, जाति जैन, निवासी गांधी चौक, नसीराबाद, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. किशन पुत्र सवाई (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— जगदीश पुत्र श्री किशन,
2. मदन पुत्र सवाई,
3. मांगू पुत्र सवाई (मृतक) जरिये वारिसानः—
   3/1— कैलाश पुत्र स्व0 मांगू जाट, निवासी मातेश्वरी कृपा, प्लॉट नं0 11 कबीर नगर, जनाना अस्पताल रोड़, अजमेर ।
4. उगमा पुत्र मूला जाट, निवासी देराठू, हाल दिलवाड़ा, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद ।
6. मुस्ताक अहमद पुत्र अब्दुल गनी मुसलमान लुहार, निवासी मकान नंबर 47—बी, गांधी चौक, नसीराबाद, तह0 नसीराबाद, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद दिनांक 25.4.2016 अंतर्गत वाद संख्या 33/2011.

उपस्थितः—

1. श्री अजीतसिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. रेस्पो0 अनुपस्थित ।
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5.

निर्णय

दिनांकः— 26.11.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88 व 188 राज0काश्त0अधी0 के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू, तह0 नसीराबाद स्थित वर्गिग खसरा नंबर 881 रकबा 3–13–00 बीघा के आधार खसरा नंबर 1243 रकबा 0.29 है0, 1243/7405 रकबा 0.23 है0, 1243/7369 रकबा 0.07 है0 बनाये गये है । उक्त आराजियात के रिकार्डेड खातेदार लाला पुत्र नानू, जाति जाट था जिसके स्वर्गवास पर विरासती नामांतकरण संख्या 498 दिनांक 22.6.2006 को सूरजकरण व देवकरण पुत्रगण लाला व गलकु देवी बेवा लाला के नाम तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया । उक्त विवादित भूमि वर्किग खसरा नंबर 881 में से रकबा 1–9–0 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत, अजमेर के नाम दर्ज की गई तत्पश्चात् शेष 2–4–0 बीघा भूमि सूरजकरण, देवकरण पुत्रान लाला व गलकू देवी बेवा लाला जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र के वादी को विक्रय कर कब्जा व दखल प्रदान कर दिया गया जिसके आधार पर वादी के नाम नामांतकरण संख्या 108 तस्दीक किया जाकर अमल दरामद किया गया । वादी क्रयशुदा रकबा 2–4–0 बीघा भूमि में से 1–1–0 बीघा भूमि वादी द्वरा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मुश्ताक अहमद पुत्र अब्दुल गनी रेस्पो0 संख्या 6 को विक्रय कर दी जिसके आधार पर उसके नाम नामांतकरण संख्या 546 दिनांक 4.2.1997 को तस्दीक किया जाकर अमल दरामद कर दिया गया एवं शेष 1–3–0 बीघा भूमि वादी की खातेदारी में दर्ज रही । उक्त समस्त 2–4–0 बीघा भूमि में से 0–11–00 बीघा भूमि एन0एच0आई0 द्वारा अवाप्त की गई जिसमें से 0–7–15 बीघा भूमि वादी के हिस्से में से अवाप्त की गई । उक्त अवाप्ति के उपरांत वादी के हिस्से में 0–15–5 बीघा भूमि शेष रही जिस पर वादी वर्तमान में बहैसियत खातेदार तन्हा काबिज काश्त चला आ रहा है । वादपत्र में आगे कथन किया कि वर्किग जमाबंदी में दर्ज कुल भूमि 3–13–00 बीघा में से 1–9–0 बीघा भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के सड़क मार्ग में गई जिसके आधारभूत खसरा नंबर 1243/7405 रकबा 0.23 है0 कायम किए गए जो आधार जमाबंदी में गैर मुमकिन सड़क के रूप में दर्ज है तथा वर्किग जमाबंदी में वादी के नाम 0–15–0 बीघा खातेदारी हक से दर्ज है जिसके आधारभूत खसरा नंबर 1243 मुर्तित किए गएस लेकिन 12 एयर के स्थान पर रकबा मात्र 0.078 एयर ही अंकित किया गया । अर्थात् लगभग 0.05 है0 अर्थात 5 एयर रकबा वादी के नाम कम दर्ज किया जाकर उक्त रकबा आधारभूत खसरा नंबर 1243/7369 रकबा 0.07 है0 में शामिल कर रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कर दिया । इस प्रकार उक्त 0.07 है0 में से 0.05 है0 भूमि वादी की निहित है जिसकी दुरूस्ती की जाकर वादी को उक्त 0.05 है0 भूमि का खातेदार घोषित कर अधिकार अभिलेख में इंद्राज दुरूस्त कर अंकित करने का निवेदन किया गया साथ ही प्रतिवादीगण को वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी व मदाखलत उत्पन्न करने, रहन, बेचान, मुंतकिल करने से जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का भी निवेदन किया । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 25.4.2016 द्वारा वादी/अपीलांट का वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट एकपक्षीय की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री

न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होकर निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के संलग्न जमाबंदी संवत् 2041 प्रदर्श पी–1 पेश की गई थी, जो तत्कालीन रिकार्डेड खातेदार सूरजकरण, देवकरण पुत्रान लाला व श्रीमती गलकू देवी बेवा लाला के नाम दर्ज है, तत्पश्चात् निष्पादित किए गए विक्रय पत्र एवं अवाप्ति से संबंधित समस्त नामांतकरणों का उक्त जमाबंदी में अंमल किया गया है । इस प्रकार उक्त प्रकरण का उदभव होने से ही दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रदर्शित करवाये गये थे जिसे अधी0न्याया0 ने नजरअदांज करते हुए रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किए बिना तथा प्रकरण को समझे बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श पी–2, आधार जमाबंदी प्रदर्श पी–3 लगायत पी–4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–5, मौका रिपोर्ट प्रदर्श पी–7 एवं आधार जमाबंदी मुश्ताक अहमद प्रदर्श पी–8 पेश किए गए थे जिनसे बंदोबस्त विभाग द्वारा सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान, मुंतकिल किए बिना वर्किंग जमाबंदी के विपरीत प्रविष्टि को परिवर्तित करते हुए बिना अधिकार के वादी की खातेदारी की भूमि में से 0.05 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम आधार जमाबंदी में दर्ज किया जाना स्पष्ट था लेकिन अधी0न्याया0 ने रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअदांज कर अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि आधार जमाबंदी से पूर्व का रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि प्रदर्श पी–1 आधार से पूर्व की जमाबंदी रिकार्ड पर मौजूद थी । बंदोबस्त विभाग को सक्षम न्यायालय के आदेश एवं रहन, बेचान, मुंतकिल किए बिना पूर्व प्रविष्टि को परिवर्तित करने का कोई क्षैत्राधिकार नहीं था । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में यह भी कथन किया कि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जिससे स्पष्ट है कि उनके द्वारा वाद को स्वीकार किया गया है । रेस्पो0 संख्या 6 द्वारा भी उपस्थित होने के बावजूद कोई जवाबदावा, मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई थी । ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को एडवर्स इन्फेन्रेन्स ड्रो कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री करना चाहिये था । इस संबंध में मान0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ए0आई0आर0 2007 सुप्रीमकोर्ट पेज 2025 का न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किया गया । अंत में विद्वान वकील अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त करने तथा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. हमनें विद्वान वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्किंग खसरा नंबर 881 रकबा 3–13–00 बीघा था जिसमें से 1–9–0 बीघा भूमि सड़क हेतु अवाप्त हो गई तथा शेष रही 2–4–00 बीघा भूमि वादी द्वारा खातेदार से क्रय की गई है । उक्त क्रयशुदा भूमि में से भी 1–1–00 बीघा भूमि वादी द्वारा रेस्पो0 संख्या 6 मुस्ताक अहमद को विक्रय कर दी गई । विक्रय करने के पश्चात् अपीलांट के पास 1–3–00 बीघा भूमि शेष रही है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि 11 बिस्वा भूमि ओर राजमार्ग हेतु अवाप्त की गई है । इस अवाप्ति में अपीलांट की कितनी भूमि अवाप्त हुई एवं रेस्पो0 संख्या 6 की कितनी भूमि अवाप्त हुई इस संबंध में अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही वर्किंग खसरा नंबर 881 के वर्तमान खसरा नंबर कितने बने व किस–किस के खाते में रहे, के संबंध में पूर्ण साक्ष्य वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है । वादी/अपीलांट को अपना वाद स्वंय सिद्ध करना होता है जिसमें वह पूर्णतया असफल रहा है । हम विद्वान अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री से

सहमत है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पायी जाती है ।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 25.4.2016 को यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 26.11.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal Mehrada
Date: 2019.12.06 18:02:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: